(आदेश 20 के .नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 170/2016

पार्वती देवी पुत्री स्व0 नन्दलाल पत्नी कल्याणसहाय निवासीनी मकान नम्बर 266/45, पार्वती सदन अम्बेडकर कॉलोनी, गुलाब बाड़ी, अजमेर

–वादीया–

बनाम

1. कालूराम
2. दामोदर स्वामी पुत्रगण स्व0 नन्दलाल
3. श्रीमति विमला पत्नी स्व0 ताराचन्द स्वामी पुत्रवधु स्व0 नन्दलाल
4. मुकेश स्वामी
5. श्रवण स्वामी
6. विष्णु स्वामी
7. संदीप स्वामी पुत्रगण स्व0 ताराचन्द स्वामी
8. सुमन स्वामी पुत्री स्व0 ताराचन्द स्वामी समस्त निवासीगण महात्मा ज्योति फुलेबाई कॉलेज की पीछे, आरटीओ ऑफिस के पास, पिपराली रोड़ सीकर
9. शांति देवी
10. परमेश्वरी देवी पुत्रियां स्व0 नन्दलाल
11. जितेन्द्र
12. कन्हैया पुत्रगण स्व0 यशोदा देवी स्वामी
13. पूनम पुत्री स्व0 यशोदा देवी स्वामी
14. बिमला पुत्री नन्दलाल जाति स्वामी निवासीगण महात्मा ज्योतिबाई फुले कॉलेज के पीछे, आरटीओ ऑफिस के पास , सीकर
15. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

22/8/17

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

निर्णय

दिनांक : 22/8/22

वकील वादीया ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर में विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 से 12, 12/1036, 14, 15 व 16 किता 16 कुल रकबा 0.9050 है0 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें 12.4600 है0 अवस्थित है। खसरा नम्बर 1 ता 6 तथा 8 ता 10 की खातेदारी आबादी भूमि हो जाने के कारण नगर परिषद सीकर के नाम नाम दर्ज है। जिसके कारण इन भूमियों का कोई विवाद नहीं है। वाद पत्र में मात्र खसरा नम्बर 7 तथा 11 व 12 एवं 12/1036 और 14 से 16 का विवाद है। इन भूमियों में से 6 बीघा 18 बीस्वा का खातेदार काश्तकार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10 तथा 14 के पिता एवं प्रतिवाद संख्या 3 के सुसुर तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 के दादा और प्रतिवादी संख्या 11 से 13 के नाना स्व0 नन्दलाल स्वामी थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 7.11.2005 को हो चुकी है। जिसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 संयुक्त रूप से उक्त 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि के रिकार्डेड कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये। नन्दलाल की मृत्यु के बाद स्व0 ताराचन्द व यशोदा देवी को पोषिदा रखते हुऐ विरासत का नामा0 संख्या 838 दिनांक 5.4.2008 को अपने अकेले के नाम से स्वीकार करवा लिया। जो प्रारम्भ से ही वादिया के अधिकारों के विपरित अवैध एवं शून्य है। नामा0 एक फिसकल एन्ट्री है जिसका टाईटल से कोई संबंध नहीं है। वादिया को इस नामा0 की जानकारी 2016 में होने पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये कहा गया परन्तु आवश्वासन देते रहे बाद में प्रथम सप्ताह में इन्कार कर दिया । इसलिये वादिया विवादित भूमियों में 1/8 हिस्से की भूमि की खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने की अधिकारिणी है। वादिया का वाद स्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 उपस्थित नहीं रहे। इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया गया । बाद में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने मय वकील उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया। इनके अधिवक्ता द्वारा राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की ।

22/8/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद वादिया स्वीकार किया जाकर ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 7, 11, 12, 12/1036, 14, 15 व 16 में स्व0 नन्दलाल का हिस्सा रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा में 1/8 हिस्से की भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के खातेदारी में उनके हिस्से अनुसार रहेगी। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

22/8/22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
..... रुपये पर प्लीडर की स	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 22.8.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का तथा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का एवं राजीनामा का अवलोकन किया। ग्राम राधाकिशनुपरा तहसील व जिला सीकर कि विवादित भूमि जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 के अनुसार खसरा नम्बर 1 से 6 व 8 से 10 की खातेदारी नगर परिषद सीकर के नाम दर्ज है। जिसका वादिया ने वाद में कोई विवाद नहीं होना अंकित किया है। खसरा नम्बर 7, 11, 12, 12/1036, 14, 15 व 16 की खातेदारी नन्दलाल के वारिसान (वादिया को छोड़कर) दर्ज है। वादिया ने अपने आपको स्व0 नन्दलाल की प्रथम श्रेणी का वारिस बताकर विवादित आराजियात में 1/8 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा का दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा इसे राजीनामें में स्वीकार किया गया है। वकील वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने राजीनामानुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाकर ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 7, 11, 12, 12/1036, 14, 15 व 16 में स्व0 नन्दलाल का हिस्सा रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा में 1/8 हिस्से की भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के खातेदारी में उनके हिस्से अनुसार रहेगी। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.8.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर